

राजस्थान रोजगार संदेश

पाठ्यक्रम

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 47 अंक 10 Website:<http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in> 1 जुलाई, 2024 फोन : 0141-2368398 मूल्य : 3.00 वार्षिक शुल्क 60 रु

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 01/परीक्षा/A.D./Sci.& Tech./EP-I/2024-25

दिनांक 14.06.2024

आयोग द्वारा विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए राजस्थान विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के अन्तर्गत सहायक निवेशक (Assistant Director) के कुल 09 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/युद्धि की जा सकती है) एवं उनमें आवश्यक पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

| Name of Post | No. of Post(s) | Gen. (UR) | | | | S.C. | | | | S.T. | | | | O.B.C. | | | | M.B.C. | | | | E.W.S. | | | | |
|--|----------------|-----------|---------|----|----|------|---------|----|----|------|---------|----|----|--------|---------|----|----|--------|---------|----|----|--------|---------|----|----|---|
| | | GEN. | GEN. WE | WD | DV | GEN. | GEN. WE | WD | DV | GEN. | GEN. WE | WD | DV | GEN. | GEN. WE | WD | DV | GEN. | GEN. WE | WD | DV | GEN. | GEN. WE | WD | DV | |
| Assistant Director | 09 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horizontal Reservation :- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. P.H. - (i) B/LV-01, (ii) D., H.H. - (iii) LD/CP & Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abbreviations Used: GEN – General, U.R. – Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST – Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC – More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorced, B/LV- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others – Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victim and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual disability, M.I- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis. - Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| टिप्पणी— एकाधिक विव्याहित (Mul. Dis.-Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपर्युक्त सारणी में दिव्यांगता की दराई गई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अनिवार्यता के साथ (iii) अवधा (iv)(a) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

नोट :-

- कार्यक्रम (क-2) विभाग की अधिकृत सूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्यक्रम (क-2) विभाग की अधिकृत सूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपर्युक्त अधिकृत उल्लंघन न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवश्यक रिक्तियों को पश्चात् विभागीयों और जायेगी वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्गों की दस्तावेजों के प्रश्नों के उल्लंघन के बावजूद उपर्युक्त अधिकृत उल्लंघन के अनुसार रिक्तियों का भर्ती नहीं की जाती है।
- राजस्थान राज्य के आधिकरण रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आवश्यक पदों के लिए उपर्युक्त अधिकृत उल्लंघन के अनुसार जातियों या समाजान्वयन विभागीयों और यथास्थिति अतिपिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्तियों को पश्चात् विभागीयों में से उल्लंघन करना चाहिए।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विव्याह या विच्छिन्न विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपर्युक्त अन्यथियों के उपलब्ध न होने की दशा में विवित विव्याह/परिवर्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आवश्यक रिक्तियों की सभी महिलाओं द्वारा भरी जाएगी। पर्याप्त रूप से विव्याह और विच्छिन्न विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकशुदा अन्यथियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी विवित विव्याह/परिवर्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवश्यक रिक्तियों उस प्रवर्ग के पुलाज अन्यथियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए विवित विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं नहिलाओं के लिए इस प्रकार आवश्यक रिक्तियों को पश्चात् विभागीयों के उपर्युक्त अधिकृत उल्लंघन के अनुसार आवश्यक रिक्तियों को प्रवर्ग के भीतर शीतिज आरक्षण माना जायेगा। अधिकृत विव्याहीयों की सामान्य योग्यता में व्यवस्थित महिलाओं को भी पहली महिलाओं को टैकिंग स्टेटमेंट के लिए उपर्युक्त अधिकृत उल्लंघन के अनुसार जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दराए गए पदों का आरक्षण शीतिज (Horizontal) है अर्थात् अन्यथीं जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए विवित विव्याहों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्यावार क्षीतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपर्युक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आवश्यक रिक्तियों उस प्रवर्ग के पुलाज अन्यथियों की दशा में अप्रीनीत की जायेगी तथा उपर्युक्त ऐंड्रेमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भर्ती नहीं जासकी हो, तो ऐसी विवित आगामी भर्ती वर्ग में अप्रीनीत की जायेगी तथा उपर्युक्त ऐंड्रेमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रश्नातः निःशक्तजन की विवित श्रेणियों में अत्यस्त्रिवर्ती (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ग में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस विवित को निःशक्तजन के अन्वय व्यवित से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आधिकरण रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक कोई उपर्युक्त पदों का लाभ राजस्थान राज्य के अन्य प्रदेशों की दशा में देय है। अन्य राज्य के आवेदकों के उत्तम लाभ देय नहीं होने के कारण उत्तम लाभ राज्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। मानवीय सर्विच्य न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं मानवीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य की बाह्य-अन्य राज्यों की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओवर्सी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उत्तम समान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- टिप्पणी—“विन्दु संख्या 01 से 07 तक के प्रावक्षण संबंधी वर्ग के अन्तर्गत पद आवश्यक होने की स्थिति में ही लाभ होगे।”

अनिवार्य शीक्षणिक योग्यताएँ :

(i) Ist Class Master's degree in Natural or Agricultural sciences. OR Ist Class Masters degree in Engineering or Technology. OR Ist Class M.Sc/M.Tech (with graduate degree in science/engineering) in Remote Sensing & G.I.S from a recognized university or equivalent and

(ii) Two Years specialized experience in research & development/industrial/academic institution/science & technology organization

(iii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari script and knowledge of Rajasthani Culture.

आदर्शयक नोट—अन्यथियों को शैक्षणिक अवधार प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुपलब्ध ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करायें। ऑनलाइन आवेदन पत्र मरणे की विधि तक अधिकृत विवाह प्रमाण पत्र, अन्यथीं द्वारा अपलोड नहीं करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र नहीं होगा। (क्रमशः)

राजस्थान रोजगार संदेश

राजस्थान रोजगार संदेश

1 جولائی، 2024 3

20. साम्य कर्मचारी को देय हैं।

किसी आपसिक पारा के छलों नहीं छाना चाहिए किंतु एवं संगम में नियुक्ति के बाह्य/समाज उत्तम हो। वह ही किसी आपसिक प्रबन्ध के दृष्टिकोण से विवाहित होने पर विवाह उत्तम हो।

अमरकृष्ण-पत्र यात्रा लाभ प्रदान करने वालों के हाथ।
17. अमरकृष्ण-पत्र से संबंधित एवं निषेध वाले असहाय का निर्णय अद्वितीय होगा।

अंतिमात्तम आवेदन पत्र के शही दर्जे सुनान को रही मानो दूर चली परेंट्स में अस्वीकृत प्रेषण दिया जायेगा। कान अस्वीकृत द्वारा अंतिमात्तम आवेदन-पत्र में यातना/द्वितीय सुनान द्वारा अपनी सुनान भरी ही, तो अपनी कंप का अपना स्फूर्त करने का अधिकार आपग का होगा औ इसीले विनामी आवेदन की ही दिलचस्पी सम्बन्ध में अस्वीकृती को कठोर अवधिकारी करना चाहिए।

विवरण गति :-
यहाँ पर लक्षणीय है कि अध्ययन द्वारा उत्तर विवरण में विशिष्टता प्रद द्वेष समस्या विचारी उत्तरानुकार संस्कृत की जा चुकी है और यहाँ यही अपेक्षा/ई-निमित्त/अन्य स्तरों पर भी अधिक विवरण द्वारा उत्तरानुकार संस्कृत की जा चुकी है।

दूसरे विद्युतीय अवधारणा के बारे में भी कहा गया है कि यह एक नई विद्युतीय आविष्कार होना चाहिए। इसके लिए जल्दी से जल्दी एक नई विद्युतीय आविष्कार की जरूरत है। इसके लिए जल्दी से जल्दी एक नई विद्युतीय आविष्कार की जरूरत है। इसके लिए जल्दी से जल्दी एक नई विद्युतीय आविष्कार की जरूरत है। इसके लिए जल्दी से जल्दी एक नई विद्युतीय आविष्कार की जरूरत है।

अधिनियम इन परिवेश के संलग्न में सामूहिक एवं जाती समुदायों का अधिकार आयोग की वेबसाईट <https://fpic.rj.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। इसके अधिनियम विनाशी नीति प्रक्रिया के लिए विदेशी/सुनामी/वर्षभूषण एवं सरजनाम तोड़े से अवृत्ति, अवृत्ति के परिवर्तन एवं विदेशी ट्रान्सलेट कर पर विभिन्नता द्वारा दूसरे भाषा में अवृत्ति लिखा जाता है। मानसिक विवरण में विभिन्नता द्वारा अवृत्ति लिखा जाता है।

(रामनविवास मेहता)

सचिव

अनुमति प्राप्ति का प्रारूप

विषाणु / कार्यालय / संसदा का नाम
अपनी प्रति भौतिक वर्ग-विवरण अधिकारी

परंस्था का रजिस्ट्रेशन नं० एवं रजिस्ट्रेशन वर्ष

पंजाब (राज्य) का नाम :
पंचीकरण करने वाली संस्था का नाम

कर्मचारी की सेवा पुरसिका/संसाधा के अधिनियमके आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सूची दिया/ दिए का नाम ज्ञात किया गया है। इस विभाग/ संसाधन में प्रबन्ध नियुक्ति दिये गए नाम से निम्न पद/ पदों पर कार्यरर्थ रखे रहे हैं/ कार्यरर्थ ये

| प्र. | पद का नाम | पदस्थापन वर्षान् | अवधि | वेतन | किसी गये कार्य का विवरण |
|------|-----------|------------------|------|------|-------------------------|
|------|-----------|------------------|------|------|-------------------------|

| प्रक्रि. पंक्ति | प्रायः विद्युत् विनाम् विद्युत्सम्पर्क विवरणम् | प्रायः अधिकारी विवरणम् | प्रायः लक्षण | प्रायः विद्युत्सम्पर्क विवरणम् (प्रियमानस्त्रुतं वाचिकां अनुवाप्तं) |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------|---|
| १ | | | | |
| २ | | | | |

योग देवाकाल

प्रणालीत किया जाता है कि श्री/भौमी/सुची दिनांक दिन-..... वर्ष..... माह..... दिन-..... वर्ष..... के कार्य का संशोधनक अनुग्रह स्वरूप स्वती देता है।

प्रति छर्टाकार सकाम अधिकारी का नाम, हस्तालिक

मानव उत्तरायण
(सामाजिक अधिकारी)
आशयकाता छोने परं

नोट-जो लागू न हो उसे काट (X) देयें। उक्त के अतिरिक्त पूर्ण प्रविष्टि करें।

Digitized by srujanika@gmail.com

9. राजन के परिषद कानून प.6(ग्रंथ-13/ 2006) दिनांक 22.05.2006 के अनुसार हस परिषद के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनियन्त्रित किया गया है। तत्परती विवाह प्रणाली में यह सम्भव स्थित करना बाधीय होगा।

10. रेसा कोई नहीं की अप्पील, जिते 01.06.2022 को या सक्षम फ़साद दो से अधिक बट्टा/सत्रांग हो, सेंग में नियुक्ति के लिये पार नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बट्टा/सत्रांग लेते किसी भी आदेक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित रही सदस्य जागरूण, जब तक कि 1 जुलाई 2022 को विद्यमान उच्चांश बट्टा/सत्रांगों की संख्या में बढ़ती होनी शुरू होती, परन्तु यह भी किसी आदेक के पूर्णतर प्रवर्तन से कठोर एवं बट्टा/सत्रांग है, किंतु किसी एक परमाधिकारी प्रवर्तन से एक से अधिक बट्टा/सत्रांग पैदा होती है, वहां बट्टा/सत्रांग की कूल संख्या की गणना कोला सभा इस बजाए पैदा हुए बट्टा को एक इन्हाँ सदस्य जागरूण। परन्तु इसी की जारी किसी आदेक की संतोंकी की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्णतर प्रवर्तन से पैदा हुई हो और नियमान्वय हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह की कि रेसा कोई अप्पील जिसे पुरुषवैकल्पिक लिखा है ना किसी विधि के किंवद्दन नहीं हो और वह रेसा पुरुषवैकल्पिक से पूर्ण इस उचितन के अधीन नियुक्ति के लिये पार होनी चाहिए।

निरहुत नहा ह ता उच्च निरहुत नहा क्या जाया याद ऐसे पुरुषोंह से एकल प्रसव द्वारा किसी सतान का जनन हुआ ह। भरुत यह किंवा एवं विविध विवाह/तत्त्वाक्षरु/परिचयका श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। उत्तमव्यापी शक्ष-पत्र यथा समय

13. आदिक को शीतलन हैराणिक संस्था का चारित्र प्रभाव-पत्र यथा सम्प्रदान करना आवश्यक होगा, जिसमें चारित्र के सम्बन्ध में कन से कन "अच्छा" का उत्तरण/जीवित होने का विवरण हो।

14. आवेदक को व्यनु उपर्याक्षरण सम्बद्धी पुलिस सत्यापन प्राण-द्रव यथा हम्प नियुक्ति प्रधिकारी को प्रत्यक्ष करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के डिलाफ ऐसी

किसी आपाराधिक धर्म का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जबकि शहर वर्षा में नियुक्ति न होना/समस्या उत्पन्न हो। सच्च हो। किसी आपाराधिक प्रक्रम के द्वारा सदृश होने वा प्रभाग/वाद चार्याद्धर्म होने पर नियुक्ति होना अपार्थ होगा।

15. आविदक के बदल उपरान्त सभा प्राविधिकारी हांग जारी घोषित की जाए लम्बवा। घोषित प्राविधिकारी द्वारा सभा में नियुक्त प्राविधिकारी को प्रतुल करना आवश्यक होगा, किंतु आविदक पैरांपर्स से सहमत है वह राज सेवा के लिए पैरांपर्स नहीं।

16. आवेदक जो पहले से ही लालसी सेंग व्या केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपचारों में नियुक्त है एवं उनका चयन उत्तम बदौं हुती में हो गया है, उन्हें अपने नियोजका से अनापृष्ठ प्राप्ति-पत्र व्या सम्पूर्णतः कराना आवश्यक होगा।

17. अर्थव्यापार की प्रतारा के संबंध में संक्षिप्त सेवा नियम के अनुसार आवश्यक नियर्पय आवैष्ण होगा।
क्रेडिट-प्रदाता ने गलत / क्रेडिटिंग छूट / अपर्याप्त क्रेडिट-प्रदाता की दस्तावेज़ों के सम्बन्ध में विवेचन निर्देश:-

अमर्त्यसंगीत अनैव देवं प्राप्तं माने तो एवं शारीरिक घोषणा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, इग्नां पत्रों से संबंधित मूल्यांकन तथा वर्गीकरण से संबंधित अन्य विनियोग सूचना को लिए गए अन्य विनियोगों को बहुत अधिक दाम दिया जाता है। इसका अधोलक्षण इस अवधारणा-प्राप्ति का सम्बन्धित विवरण दिया जाता है।

विवेक नाथ :-
 यहाँ वह उत्तरणीय है कि आयोग द्वारा उत्तर विभाग में विकासित गद हेतु सरकार नियमित उत्तरानुसार सब की जा चुकी है अगर फेर सी आवेदन /ईनियर/अग्र स्टोर द्वारा लिये गए ऑफरलाइन ऑडिट-प्र-म ने किसी प्रकार कोई गलती/ट्रॉप/लोग/अर्बुद सुना हाँ जाता है तो इस उत्तरानुसार नियमित प्रक्रिया अनुसार अंगर्या द्वारा ऑफरलाइन ऑडिट-प्र-म ने अद्वितीय शर्तें नहीं किया जाता है या विभाग पर के अनुसार पूर्ण प्रकार नहीं सख्त है, इतिहास के काण पर अंगर्य का ऑफरलाइन /विभाग ऑडिट-प्र-म आयोग द्वारा छापा निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सबमें किसी प्रभावन-प्र-पर पर विचार नहीं किया जाएगा और अंगर्य को कोई कानूनी अधिकारी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु द सूचना :- एक्सप्रेस पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्राप्ति व पत्रों से संबंधित सूचना एवं परिणाम से संबंधित कम्युनिकेशन बिन्दु द सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनीकरण एवं हाईटेक पर्फॉर्मेंसीयों के द्वारा आवेदन व परिणाम संबंधी सामाजिक दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा निवारों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर तो। इसके अतिरिक्त एक परिवारों के संबंध में सम्पर्क-संवाद व परामर्श तुम्हारों का अध्यात्मक आयोग को देखावाएँ <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निवारों की विवरात्मक जानकारी भी प्राप्त करने वाले निवार/सुन्दर/स्ट्रॉकेंज ने राजस्थान लोकों से आयोग, जलसभा के प्रीरकरण में विविध सामाजिक कार्यक्रमों का विवर व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित दूसरी दस्तावेज संस्करण से 0145-2635212 वर्ड 2352020 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सम्पर्क पत्र व्यक्तरात् समीक्षा, राजस्थान लोकों से आयोग, जलसभा को सम्बन्धित किया जाए।

डी.आई.पी.आर./सी/4429/2024 तारीख 26/2024

(रामनिवास मेहता)
सचिव

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पार्श्वक) के वार्षिक अधिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभियान तिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे वर्तमान में ₹ 40/- के एजट में ₹ 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आईर या डिपाउट इट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पार्श्वक पक्ष के वार्षिक महासंघ बन सकते हैं।

- संपादक

गरजस्थान रोजगार संस्कृता के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखोंमें / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है।

- सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

प्रमुख विभाग
धर्मपाल मंत्री
निदेशक, रोजगार सेवा विभाग
राजस्थान राज्य
मुद्रा, उपचार एवं सामाजिक
हरी पात्र बड़दुर्ग
उप निदेशक, राजस्थान रोजगार संस्कार, जयपुर
झांका का नाम : सरकारी उपचार विभाग, राजस्थान कृष्ण पालसर,
गोपीनाथ नगर, जयपुर, पिंडिकोट- 302001, फोन- 2638398
e-mail—adrss.jpr.emp@rajasthan.gov.in